

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

विज्ञापन संख्या- BCECEB/Health(SR)/2024/07 दिनांक- 09.08.2024

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ ट्यूटर के टेन्योर पदों पर नियुक्ति के लिए पैनल निर्माण हेतु आवश्यक सूचना

Website: bceceboard.bihar.gov.in

पर्षद के विज्ञापन संख्या-BCECEB/Health(SR)/ 2024/06 दिनांक 18.06.2024 द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सिनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के टेन्योर (तीन वर्षीय) पदों पर नियुक्ति हेतु Eligible पाये गये अभ्यर्थियों की विषयवार Point wise सूची तथा not eligible, not eligible due to non submission of NOC एवं absent अभ्यर्थियों की सूची पर्षद के वेबसाईट bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध करायी गयी थी, जो नये रोस्टर के आधार पर था।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- सं.से.-17/विविध-01-88/2024-687(17) दिनांक 06.08.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि CWJC No. 16760/2023 गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा सम्बद्ध सभी अन्य मामलों में दिनांक 20.06.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के द्वारा पूर्व प्रवृत्त आरक्षण के प्रावधान लागू माने जायेंगे का परामर्श दिया गया है। अतः प्राप्त परामर्श के आलोक में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशांसा को सम्यक विचारोपरान्त वापस किया जाता है।

उपरोक्त पत्र के आलोक में पर्षद के विज्ञापन संख्या-BCECEB/Health(SR)/ 2024/06 दिनांक 18.06.2024 द्वारा प्रकाशित किया गया बिहार सरकार के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सिनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के टेन्योर (तीन वर्षीय) पदों पर नियुक्ति हेतु Eligible पाये गये अभ्यर्थियों की विषयवार Point wise सूची तथा not eligible, not eligible due to non submission of NOC एवं absent अभ्यर्थियों की सूची को वापस लिया जाता है।

नोडल पदाधिकारी